लेखा · योग

संस्थाओं का नियमन (मध्य प्रदेश से मेघालय तक) अङ्क ८० – जून '०२ (जनवरी '०३ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

मध्य प्रदेश	१
महाराष्ट्र	२
मणिपुर	३
मेघालय	३
सम्बन्धित लेखा · योग	४

इस अंक के लिए शोध करते समय प्रत्येक राज्य से नवीनतम संशोधित अधिनियम प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य सिद्ध हुआ है। अतः कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व कृपया इस अंक में दी गई जानकारी की पुनः पुष्टि कर लें।

मध्य प्रदेश

[मध्य प्रदेश संस्था पञ्जीकरण अधिनियम १९७३ (Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973)]

पञ्जीकरण– पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपना संगम-ज्ञापन[१] (प्ररूप-१ में भर कर) एवं नियम – विनियम[२] की प्रमाणित[३] प्रतिलिपि, १,००० रुपये शुल्क के साथ ग्वालियर या भोपाल[४] में संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी[५] के पास जमा करवानी होंगी (धारा-७)। इसके बाद पञ्जिकाधिकारी द्वारा पञ्जीकरण का एक प्रमाणपत्र 'प्ररूप-२' में दिया जाएगा (नियम-६)।

परिवर्तन– आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको शासी-निकाय की दो गोष्ठियों का आयोजन एक माह के अन्तराल पर करना होगा। यह परिवर्तन कम से कम ३/५ (६०%) सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए (धारा-१५)।

आप अपनी संस्था के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। परन्तु इसके लिए महासभा में (एक प्रस्ताव के माध्यम से) संस्था के कुल सदस्यों में से दो-तिहाई (६७%) सदस्यों की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है (धारा-१२)।

ऐसे प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि पञ्जिकाधिकारी के पास भेजी जानी चाहिए। जब पञ्जिकाधिकारी आवश्यक परिवर्तन के साथ एक प्रमाणपत्र 'प्रारूप-५' में निर्गत (इश्यु) करते हैं (नियम-९), तभी नाम में परिवर्तन प्रभावी होता है (धारा-१३)।

यदि सदस्यगण संगम-ज्ञापन, या विनियम, या उप-विधि में किसी प्रकार का संशोधन करना चाहें, तो पञ्जिकाधिकारी को २०० रुपये शुल्क के साथ एक प्रस्ताव देना चाहिए।

यदि यह प्रस्ताव विधि के प्रतिकूल नहीं है, तो पञ्जिकाधिकारी इस संशोधन को पञ्जीकृत कर लेंगे (धारा-१०)।

यदि पञ्जिकाधिकारी संगम-ज्ञापन, या विनियम, या उप-विधि में कोई संशोधन संस्था के हित के लिये आवश्यक समझते हैं, तो वह ऐसा करने के लिए संस्था को आदेश भी दे सकते हैं (धारा-११)।

यदि संस्था ऐसा नहीं करती तो पञ्जिकाधिकारी स्वयं संगम ज्ञापन, या विनियम, या उप-विधि में संशोधन कर के इसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि संस्था को भेज सकते हैं। इस तरह के सारे संशोधन संस्था पर बाध्यकारी होते है।

शासी-निकाय की सदस्य सूची– यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक साधारण अधिवेशन होने के ४५ दिनों के अन्दर, संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। यदि वार्षिक अधिवेशन नहीं होता, तो इस सूची को ३१ जनवरी से ४५ दिनों के अन्दर अधिकतम २०० रुपये शुल्क के साथ जमा करवाएँ (धारा-२७)।

खाता-सम्बन्धी प्रावधान– संस्था को प्रत्येक वर्ष के अंकेक्षित आय व व्यय खाते[६] वार्षिक महाधिवेशन[७] के ६० दिनों के अन्दर २०० रुपये शुल्क के साथ जमा करवाने चाहिए (धारा-२८)।

आवश्यकता होने पर पञ्जिकाधिकारी संस्था के खातों का विशेष अंकेक्षण भी करवा सकते हैं। वह संस्था के बही

[१] मैमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन
[२] रूल्स एण्ड रेगुलेशंस
[३] शासी-निकाय के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा
[४] हमें अन्य स्थानों की जानकारी नहीं है।
[५] रजिस्ट्रार – Registrar of Societies
[६] अंकेक्षण प्रतिवेदन, तुलन-पत्र व अन्य आर्थिक गतिविधियों के विवरण के साथ
[७] या अप्रैल के ३०वें दिन से

खातों या अन्य आलेखों की जाँच के लिए किसी व्यक्ति को भी भेज सकते हैं।

विघटन– यदि महाधिवेशन में उपस्थित महा-निकाय के सदस्यों में से कम से कम ३/५ (६०%) सदस्य समर्थन करें तो संस्था का विघटन सम्भव है। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, या योगदान है, अथवा सरकार संस्था में दावेदार है, तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है [धारा-३४(१)] ।

यदि पञ्जिकाधिकारी को लगता है कि संस्था निष्क्रिय हो गई है, तो वह संस्था का पञ्जीकरण निरस्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें संस्था के नाम कारण-बताओ निर्देश भेजना होता है [धारा-३४(२)] ।

जब पञ्जिकाधिकारी संस्था का पञ्जीकरण निरस्त करते हैं, तो उसी समय से संस्था को विघटित मान लिया जाता है [धारा-३४(३)]।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा– विघटन के समय संस्था की सम्पत्ति उसके सदस्यों के बीच नहीं बाँटी जा सकती । सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद संस्था के ३/५ (६०%) सदस्य बहुमत से इस सम्पत्ति को किसी दूसरी संस्था या सरकार को देने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-३५ व ३६)।

अन्य प्रावधान– एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपि[८] भी प्राप्त की जा सकती है (धारा-२६)।

महाराष्ट्र[९]

[संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १८६०; राज्य द्वारा संशोधित, (Societies Registration Act, 1860)]

पञ्जीकरण – पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने संगम ज्ञापन तथा नियम-विनियम की प्रमाणित प्रतिलिपि संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी[१०] के पास जमा करवानी होंगी (धारा-३)।

संस्था का नाम किसी दूसरी संस्था के नाम से मिलता - जुलता नहीं होना चाहिए। संस्था के नाम से यह भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि सरकार संस्था से सम्बन्धित है (धारा-३ए)।

पञ्जीकरण शुल्क[११] का भुगतान रोकड़ में किया जाता है। यदि संस्था कोई शैक्षणिक संस्थान ऐसे क्षेत्र में चला रही हो, जहाँ सेन्ट्रल प्रोविन्सिज़ एवं विरार विद्या मन्दिर अधिनियम, १६३६ लागू होता है तो पञ्जीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है (राज्य द्वारा संशोधित धारा-३)।

परिवर्तन– आप संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, संस्था का नाम बदल सकते हैं, तथा किसी दूसरी संस्था के साथ विलय भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए आपको महानिकाय के सदस्यों की दो गोष्ठियों का आयोजन एक माह के अन्तराल पर करना होगा। इस परिवर्तन को लागू करवाने के लिए कम से कम ३/५ (६०%) सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है (धारा-१२)।

संस्था के नाम में परिवर्तन पञ्जिकाधिकारी की अनुमति मिलने तथा परिवर्तित नाम के साथ एक प्रमाणपत्र निर्गत होने के बाद ही प्रभावी होगा (धारा-१२ ए)।

पञ्जिकाधिकारी भी संस्था के नाम में परिवर्तन करने का निर्देश दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस निर्देश की तिथि से तीन महीने के अन्दर संस्था को अपना नाम परिवर्तित करना अनिवार्य है (धारा-१२ए)।

शासी-निकाय की सदस्य सूची– यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक साधारण अधिवेशन होने के १४ दिनों के अंदर संस्थाओं के पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। यदि साधारण अधिवेशन नहीं होता तो इस सूची को जनवरी में जमा करवाएँ (धारा-४)। यह सूची, अनुसूची १ में दिए गए प्ररूप के अनुसार होनी चाहिए (नियम-७)।

पञ्जिकाधिकारी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के विषय में अतिरिक्त जानकारी माँग सकते हैं - जैसे संस्था में कितने कर्मचारी हैं, उन्हें कितना वेतन प्राप्त होता है, कर्मचारियों को दिया गया अंशदान, छूट या संस्था द्वारा प्रदान किये गये अन्य लाभ व सुविधाएँ (धारा-४ए)।

यह जानकारी अनुसूची २ में दिए गए प्ररूप के अनुसार पञ्जीकृत डाक से भेजी जानी चाहिए (नियम-८)। पञ्जिकाधिकारी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस जानकारी को नहीं देख सकता। साथ ही इस तरह की कोई भी जानकारी, संस्था की लिखित पूर्वानुमति के बिना सार्वजनिक नहीं की जा सकती ।

खाता-सम्बन्धी प्रावधान- संस्था को उचित खाते रखने चाहिए। सभी खाते प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च को बन्द करने चाहिए तथा इन सब का प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण (ऑडिट) भी करवाना चाहिए (धारा-१२डी)।

शासी-निकाय को इन सभी खातों का अंकेक्षण, खाते बंद होने की तिथि से ६ महीने के अन्दर करवाना चाहिए [धारा-१२डी(३)] ।

[८] पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित

[९] संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम के अतिरिक्त मुम्बई पब्लिक ट्रस्ट ऐक्ट १६५० भी लागू होगा।

[१०] बृहत् मुम्बई, पुणे, नाशिक, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, ठाणे, अहमदनगर, जलगांव, धुले, औरंगाबाद, परभणी, लातूर, नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, या अकोला में। राज्य सरकार कुछ क्षेत्रों में संस्थाओं के सहायक पञ्जिकाधिकारी की नियुक्ति भी कर सकती है जो एक पञ्जिकाधिकारी के समान अधिकारों का प्रयोग कर सकतें है (धारा १ में संशोधन के अनुसार)।

[११] समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अंकेक्षक को अनुसूची ३ व ४ में दिए गए प्ररूप के अनुसार, संस्था के आय-व्यय खाते व तुलन-पत्र बनाने[१२] चाहिए [नियम-११ (२)] । इन सबको अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) के साथ अंकेक्षण समाप्त होने के एक पखवारे के अंदर पञ्जिकाधिकारी के पास भेजना चाहिए।

उन्हें अंकेक्षण के दौरान पाई गई किसी भी अनियमितता[१३] का विवरण देना चाहिए। यदि ये अनियमिततायें शासी-निकाय के सदस्यों या किसी दूसरे व्यक्ति के विश्वासघात, गबन, या कुप्रबन्ध की वजह से हुई हैं तो उन्हें इन कारणों का भी उल्लेख करना चाहिए (धारा-१२ई)।

विघटन- एक साधारण अधिवेशन में कम से कम ३/५ (६०%) सदस्य संस्था के विघटन का निर्णय ले सकते हैं। यदि संस्था में सरकार की सदस्यता, या योगदान है, अथवा सरकार संस्था में दावेदार है तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है (धारा-१३)।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा- विघटन के बाद संस्था की सम्पत्ति या लाभ को उसके सदस्यों के बीच वितरित नहीं किया जा सकता। परन्तु सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद, संस्था के ३/५ (६०%) सदस्य इस सम्पत्ति को किसी दूसरी संस्था या राज्य सरकार को देने का निर्णय ले सकते हैं (धारा-१४)।

अन्य प्रावधान- एक रुपया शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की (पञ्जिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित) प्रतिलिपि भी प्राप्त की जा सकती है (धारा-१६)।

मणिपुर

[मणिपुर संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १९८९ (Manipur Societies Registration Act, 1989)]

इस अधिनियम का मूलपाठ हमें उपलब्ध नहीं हो सका है।

मेघालय

[मेघालय संस्थाओं का पञ्जीकरण अधिनियम, १९८३[१४] (Meghalaya Societies Registration Act, 1983)]

पञ्जीकरण- पञ्जीकरण के लिए संस्था को अपने संगम-ज्ञापन तथा नियम-विनियम की प्रतिलिपि मेघालय के संस्थाओं के पञ्जिकाधिकार के पास १०० रुपये शुल्क के साथ जमा करवानी होंगी (धारा-४)। पञ्जिकाधिकारी के पास इस आवेदन को अस्वीकृत करने का अधिकार भी है। इस स्थिति में राज्य सरकार के पास एक पुनरावेदन किया जा सकता है। इस तरह के पुनरावेदन में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा (धारा-५)।

परिवर्तन- आप संस्था के ज्ञापन तथा विनियम में पञ्जिकाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति से परिवर्तन कर सकते हैं। इस परिवर्तन को कम से कम ३/४ (७५%) सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए (धारा-८)। ज्ञापन तथा विनियम के प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रतिलिपि को पञ्जिकाधिकारी के पास परिवर्तन होने के ३० दिनों के अन्दर जमा करवाना चाहिए।

पञ्जिकाधिकारी ऐसे किसी परिवर्तन पर आपत्ति भी कर सकते हैं (धारा-६)।

यदि दो संस्थाएँ विलय करना चाहती हैं तो दोनों संस्थाओं के शासी-निकायों द्वारा इस प्रस्ताव को लिखित में पञ्जिकाधिकारी को देना पड़ेगा। इस प्रस्ताव पर पञ्जिकाधिकारी की स्वीकृति मिलने के पश्चात् दोनों संस्थाओं के कम से कम ३/४ (७५%) सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए दो महाधिवेशनों का आयोजन करना होगा (धारा-१२)।

राज्य सरकार संस्था को अपने नाम[१५] में परिवर्तन करने का भी निर्देश दे सकती है। ऐसे आदेश की तिथि से तीन महीने के अन्दर संस्था को अपना नाम परिवर्तित करना आवश्यक है (धारा-११)।

शासी-निकाय की सदस्य सूची- यह सूची प्रत्येक वर्ष, वार्षिक महाधिवेशन[१६] होने के ३० दिनों के अन्दर पञ्जिकाधिकारी के पास जमा करवानी चाहिए। गत वर्ष में संस्था के क्रिया-कलापों का एक प्रतिवेदन भी इसके साथ देना पड़ता है। इन सभी प्रलेखों को संस्था के अध्यक्ष व सचिव द्वारा प्रमाणित होना चाहिए (धारा-१७)। शासी-निकाय[१७] में हुए किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना ३० दिनों के भीतर पञ्जिकाधिकारी को दे देनी चाहिए।

खाता-सम्बन्धी प्रावधान- प्रत्येक संस्था को खाता-बही अपने पञ्जिकृत कार्यालय में रखना चाहिए। सभी बही-खातों का प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण भी करवाना चाहिए। अंकेक्षक द्वारा तुलन-पत्र की तीन व वित्तीय प्रतिवेदन[१८] की एक प्रतिलिपि प्रमाणित होनी चाहिए (धारा-१५)। तुलन-पत्र व अंकेक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि वार्षिक महाधिवेशन के ३० दिनों के अन्दर पञ्जिकाधिकारी के पास भेजी जानी चाहिए [धारा-१७(१)(सी)] ।

सदस्यों द्वारा विघटन- एक विशेष महाधिवेशन में कम से कम ३/४ (७५%) सदस्यों द्वारा संस्था के विघटन का निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रस्ताव को

[१२] सामान्यतः अंकेक्षक इन खातों को नहीं बनाते हैं।
[१३] अनियमितता का अर्थ है, अनियमित, अवैध या अनुचित व्यय अथवा सम्पत्ति या पैसा वसूलने में विफलता
[१४] मेघालय के साधारण राजपत्र में दिनांक १६ दिसम्बर को अधिसूचना संख्या - एल एल २६१/७६/३६ द्वारा प्रकाशित।
[१५] यदि उन्हें ऐसा लगता है कि यह नाम किसी अन्य वर्तमान संस्था के नाम से मिलता-जुलता है।
[१६] प्रत्येक संस्था को प्रतिवर्ष कम से कम एक वार्षिक महाधिवेशन का आयोजन करना आवश्यक है।
[१७] अथवा अध्यक्ष या सचिव के कार्यालय में
[१८] संस्था के वित्तीय मामलों को दर्शाते हुए

पञ्जिकाधिकारी को देना पड़ता है - फिर इसे राजकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यदि इस सूचना के तीन महीने के अन्दर किसी भी लेनदार या दावेदार द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती तो संस्था विघटित हो जाएगी (धारा-२४)।

यदि संस्था में सरकार की सदस्यता या योगदान है अथवा सरकार संस्था में दावेदार है, तो विघटन से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

पञ्जिकाधिकारी द्वारा विघटन- अगर पञ्जिकाधिकारी के मत में संस्था अपने मामलों को ठीक से नहीं संभाल रही है, या कार्य नहीं कर रही है तो वह संस्था को कारण-बताओ निर्देश भेज सकते हैं (धारा-२६)। यदि वह संस्था के उत्तर से संतुष्ट नहीं होते, तो संस्था के विघटन के लिए धारा-२५ के अन्तर्गत न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।

न्यायालय द्वारा विघटन- न्यायालय किसी संस्था को निम्नलिखित कारणों से विघटित[१६] कर सकता है (धारा-२५)

- यदि अधिनियम की धाराओ का उल्लंघन हुआ हो; या
- सदस्यों की संख्या सात से कम हो गयी हो; या
- संस्था को तीन वर्ष तक काम करने से रोक दिया गया हो; या
- संस्था अपने दायित्वों और ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो; या
- किसी अन्य कारण से संस्था का विघटन करना उचित समझा जाए।

विघटन पर सम्पत्ति का निपटारा- विघटन के समय संस्था की सम्पत्ति (सभी दायित्वों और ऋणों के भुगतान के बाद) उसके सदस्यों के बीच नहीं बाँटी जा सकती। इसे किसी दूसरी संस्था को देने का निर्णय इस प्रकार लिया जा सकता है -

- यदि धारा-२४ के अन्तर्गत विघटन सदस्यों द्वारा होता है तब ३/४ (७५%) सदस्य निर्णय ले सकते हैं; अथवा
- यदि सदस्य असहमत हैं तो पञ्जिकाधिकारी (राज्य सरकार की सहमति से) निर्णय ले सकते हैं;
- यदि विघटन धारा-२५ के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा किया जाता है तो सम्पत्ति के निपटारे का निर्णय न्यायालय ले सकते हैं।

अन्य प्रावधान- पाँच रुपये शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति संस्था के प्रलेखों को देख सकता है। इन प्रलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकते हैं।

[१६]पञ्जिकाधिकारी या १/१० (१०%) सदस्यों के आवेदन पर

सम्बन्धित लेखा·योग

०१: संस्था, न्यास या कम्पनी
६०: संस्थाओं का नियमन : आन्ध्र प्रदेश से दिल्ली तक
६२: पंजीकृत संस्था - १
७८: संस्थाओं का नियमन - गुजरात से जम्मू एवं कश्मीर तक
७९: संस्थाओं का नियमन - कर्नाटक से केरल तक
८१: संस्थाओं का नियमन - मिज़ोरम से पंजाब तक
८२: संस्थाओं का नियमन - राजस्थान से तमिलनाडु तक
८३: संस्थाओं का नियमन - त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल तक

लेखा·योग क्या है - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है - दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग की हिन्दी कैसी हो - इस विषय पर गहन सोच-विचार के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक हो शुद्ध भाषा और वर्तनी (स्पैलिङ्ग) का प्रयोग किया जाये। अर्थात् अन्य भाषाओं से लिये शब्दों का प्रयोग कम-से-कम हो। हमारा मानना है कि इससे हमारी और पाठकों की भाषा-क्षमता का विकास होगा। इस सिद्धान्त को न मानने से आँग्ल (अँग्रेजी) भाषा की जो दुर्दशा हुई है वह सबको विदित है। आँग्ल भाषा में आलस्यवश (अथवा अज्ञानवश) अन्य भाषाओं से शब्द सीधे आयात कर लिये गये। इससे आँग्ल शब्दों की गणना में विस्तार तो हुआ परन्तु उनके अर्थ, उच्चारण और वर्तनी की जटिलतायें बढ़ती गयीं। इनको सुलझाने में रोमन लिपि के सीमित वर्णाक्षर (२६) सर्वथा असमर्थ रहे हैं। इसीलिये आँग्ल भाषा के लिये बड़े-बड़े शब्द-कोश बनाने पड़े हैं। सौभाग्य से हिन्दी अभी तक इन दोषों से सामान्यतः मुक्त रही है। आशा है कि हमारा यह क्षुद्र प्रयास हिन्दी की गरिमा बनाये रखने में किञ्चित् सहायक होगा।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग १२०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष/प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ६०४१; ई-प्रेष: accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com

© AccountAid™ India मार्च २००३ ईस्वी; फाल्गुन विक्रम संवत् २०५९